## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
## राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 98/2023

1. जोतराम पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी 51 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
2. हजारीलाल पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी 51 एलएनपी पदमपुर

.... अप्रार्थी

### प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–12.6.23

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट उपरान्त प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से वाके तहसील खाजूवाला का चक 32 केजेडी मु0नं0 126/35 व मु0नं0 126/36 में कुल 49.10 बीघा अनकमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था। बाद में प्रार्थी ने मुरब्बा नं0 126/35 के किला नं0 11 ता 24 व मुरब्बा नं0 126/36 का किला नं0 1 ता 25 मे कुल 39.10 बीघा अनकमाण्ड रकबा अपने हकीकी भाई हजारीलाल पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी 51 एलएनपी तहः पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को जरिये दानपत्र 29.8.17 को दान कर दिया था। जिसकी प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है तथा पटवारी ने इंतकाल दर्ज करते वक्त सहवन से दोनो मुरब्बों की कुल 49.10 बीघा का इंतकाल प्रार्थी के भाई के पक्ष में दर्ज कर दिया था जो कि 39.10 बीघा का ही इंतकाल प्रार्थी के भाई के नाम से दर्ज करना चाहिए था इसलिए प्रार्थी उक्त इंतकाल में शुद्धि करवाकर रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार चक 32 केजेडी मु0नं0 126/35 किला नं0 1 ता 25 व 126/30 की किला नं0 1 ता 25 भूमि हजारीलाल पुत्र सुल्तान हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी 51 एलएनपी तहः पदमपुर हाल चक 34 केजेडी खाजूवाला के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नामा0 सं0 392 जरिये दानपत्र दिनांक 13.03.18 मु0नं0 126/35 रकबा 15.00 बीघा अ0क0 व मु0नं0 126/36 रकबा 24.10 बीघा अ0क0 भूमि हजारीलाल पुत्र सुलतानराम जाति जाट सा0 51 एलएनपी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर खातेदार के नाम दर्ज हुई तथा शेष रकबा मु0नं0 126/35 रकबा 10.00 बीघा अ0क0 भूमि बाकी खाता बदस्तुर रही। लेकिन जमाबंदी में अंकन करते समय सहवन से मु0नं0 126/35 रकबा 10.00 बीघा अ0क0 भूमि हजारीलाल पुत्र सुल्तानाराम जाति जाट निवासी 51 एलएनपी पदमपुर के नाम दर्ज हो गई। अतः वर्तमान जमाबंदी में मु0नं0 126/35 रकबा 10.00 बीघा भूमि हजारीलाल पुत्र सुल्तानराम के स्थान पर जोतराम पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी 51 एलएनपी पदमपुर के नाम खातेदार की जानी उचित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादगत के राजस्व रिकॉर्ड में चक 32 केजेडी मु0नं0 126/35 के किला नं0 1 ता 10 की 10.00 बीघा भूमि सहवन से अप्रार्थी सं0 2 के नाम भूमि दर्ज है उसको अप्रार्थी सं0 2 की जगह प्रार्थी जोतराम पुत्र सुल्तानराम जाति निवासी 51 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 32 केजेडी मु0नं0 126/35 के किला नं0 1 ता 10 की 10.00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 2 के स्थान पर प्रार्थी के नाम नियमानुसार दर्ज की जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......................... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)